

| | | |
|--------------------|--|--|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>लक्ष्मणसिंह सिसोदिया बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 13/2021</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>01.03.21</p> | <p>अपीलार्थी लक्ष्मणसिंह सिसोदिया पुत्र घेवरसिंह सिसोदिया निवासी सी-25, श्रमिकपुरा मसूरिया जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.11.2021 में उसके द्वारा (1) जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से नगर निगम (दक्षिण) जोधपुर चुनाव 2020 में वार्ड नं. 29 में कांग्रेस प्रत्याशी के सिम्बल की सत्यापित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 218 दिनांक 05.02.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, चुनाव शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 13.01.21 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि सूचना नियमों में बाधित होने से नहीं दी जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमों में बाधित होने से देय नहीं है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |